न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री सुनील कुमार आर.ए.एस

...रण संख्या : 83/2020

प्रार्थीगण

1. मेधा वल्द राजू
2. वागा वल्द प्रेमा

   जाति जाट निवासी अरटवाव तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. गंगाराम पुत्र पुरखाराम
2. निम्बाराम पुत्र पुरखाराम
3. प्रभुराम पुत्र पुरखाराम
4. मेहराराम पुत्र कचराराम
5. पाताराम पुत्र कचराराम
6. आम्बाराम पुत्र कचराराम
7. भेराराम पुत्र पनाराम
8. उकाराम पुत्र पनाराम
9. जीवाराम पुत्र पनाराम कौम कलबी निवासी प्रेमनगर
10. भीखा वल्द हिमता
11. लाला वल्द हिमता
12. माना वल्द हिमता
13. गणेशा वल्द राजा
14. चम्पा बेवा राजा
15. चूना वल्द धीरा
16. वनू पत्नी तेजाराम
17. सुजा वल्द सरदारा
18. भलाराम वल्द पूनमा
19. तेजाराम पुत्र पूनमा
20. भेराराम पुत्र पूनमा
21. दुर्गाराम वल्द पूनमा
22. प्रभुराम वल्द पूनमा
23. धर्मी पत्नी पूनमा
24. तगा वल्द हरका कौम जाट
25. मोडा वल्द तेजा
26. खंगारा वल्द तेजा
27. हीरा वल्द तेजा
28. वन्ना वल्द फूसा
29. प्रहलाद वल्द फूसा कौम जाट साकिन जाटों की ढाणी गुड़ामालानी
30. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा गुड़ामालानी
31. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शा[illegible] मालानी
32. तहसीलदार गुडामालानी जिला बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2021.01.28 10:50:13 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा [illegible], 128 [illegible] राजस्व अधिनियम

उपस्थितः–

1. श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. विप्रार्थीगण अनुपस्थित

–:: आदेश ::–

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

दिनांक :–11-01-2020

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम के तहत पटवार मण्डल सिन्धारावा हरनियान के राजस्व ग्राम जाटों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 569 रकबा 72-02 बीघा का नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण विरूद्ध बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण की विद्वान अधिवक्तागण की एक पक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2072-2075 सरहद मौजा जाटों की ढाणी पटवार क्षेत्र सिन्धारावा हरनियान के खेत खसरा नम्बर 569 रकबा 72-02 बीघा भूमि का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की गाठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पड़ौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है।

दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा जाटों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 569 रकबा 72-02 बीघा भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 500/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से [illegible] हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना [illegible] पेश करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त [illegible] शामिल [illegible] किया जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2021.01.28 10:50:13 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 11.1.21 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी